

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 फरवरी 2016—माघ 15, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्र. 84 (9)-वि.निर्वा.-चार-2016-32.—भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश क्रमांक 576-3-EVM-2015-SDR-Vol-I दिनांक 2 फरवरी 2016 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी 2016

निर्देश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2016/एस.डी.आर/खण्ड-I:- यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यतः आयोग ने उत्तर प्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एवं 5-देवबन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग (अ.ज.जा.), 50-बीदर एवं 158-हेब्बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा के 35-नारायणखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130-पालघर (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र, पंजाब के 24-खाडूर साहिब विधान सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान सभा क्षेत्र और त्रिपुरा के 42-अमरपुर विधान सभा क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उत्तर प्रदेश के 14-मुजफ्फर नगर, 274-बीकापुर एवं 5-देवबन्द विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक के 56-देवदुर्ग (अ.ज.जा.), 50-बीदर एवं 158-हेब्बल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा के 35-नारायणखेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 65-मैहर विधान सभा क्षेत्र, महाराष्ट्र के 130-पालघर (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र, पंजाब के 24-खाडूर साहिब विधान सभा क्षेत्र, बिहार के 31-हरलाखी विधान सभा क्षेत्र और त्रिपुरा के 42-अमरपुर विधान सभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 20-01-2016 (बुधवार) को उक्त राज्यों में अधिसूचित किए गए विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं।

आदेश से,

हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 2nd February, 2016

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2016/SDR/Vol.I:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in **14-Muzaffar Nagar, 274-Bikapur and 5-Deoband Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 56-Devadurga (ST), 50-Bidar and 158-Hebbal Assembly Constituencies in Karnataka, 35-Narayankhed Assembly Constituency in Telangana, 65-Maihar Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 130-Palghar (ST) Assembly Constituency in Maharashtra, 24-Khador Sahib Assembly Constituency in Punjab, 31-Harlakhee Assembly Constituency in Bihar and 42-Amarpur Assembly Constituency in Tripura** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the above mentioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies **14-Muzaffar Nagar, 274-Bikapur and 5-Deoband Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 56-Devadurga (ST), 50-Bidar and 158-Hebbal Assembly Constituencies in Karnataka, 35-Narayankhed Assembly Constituency in Telangana, 65-Maihar Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 130-Palghar (ST) Assembly Constituency in Maharashtra, 24-Khador Sahib Assembly Constituency in Punjab, 31-Harlakhee Assembly Constituency in Bihar and 42-Amarpur Assembly of Constituency in Tripura** as the Constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies from the said Constituencies **notified on 20-01-2016(Wednesday)**, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961; and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,
Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)

Secretary,

Election Commission of India.